फर्द अहकाम

हरिलाल बनाम TDR

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:– 272/2025 विविध

क्र. स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/10/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी फागी	
	13/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। आदेश सुनाया जाता है प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया गया। पत्रावली मुकम्मल बशुमार होकर दर्ज नं० से कम हो दाखिल दफ्तर रहे उपखण्ड अधिकारी फागी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु०न०:– 272/2025
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार ।। (आर०ए०एस०)
निर्णय दिनांक:– 13.10.2025

1. हरिलाल पुत्र गोपाल
2. शान्ति पत्नि गोपाल
3. नाबालिक आशिष पुत्र गोपाल संरक्षक माता शान्ति देवी समस्त जातियान बैरवा निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री कुलदीप सैन वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उपधारा (1)

निर्णय दिनांक:– 13.10.2025

1. प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 0.6449 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जो उक्त भूमि पर जाने के लिए एक मात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 के आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 3.8947 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। संलग्न नक्शे में मार्क ए.बी. सी.डी. से दर्शित जोत के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि में रास्ता जाता है इसी रास्ते का उपयोग करते हुये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर आते–जाते है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने का नही है तथा प्रार्थीगण की भूमि उपरोक्त में आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर 214 मे से होकर अप्रार्थी संख्या 01 की गैर मुमकिन खाडा मे से 32 फिट चौडा व लम्बाई 262 फिट पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ का वर्षो से आवागमन होने से प्रार्थीगण उक्त मार्क ए. बी. सी. डी. से दर्ज भूमि का रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज करवाये जाने का आशय रखते है जिसमें प्रार्थीगण सुगमता पुर्वक अपनी आराजियात पर आ–जा सके ट्रेक्टर व आधुनिक कृषि यंत्रों

उपखण्ड अधिकारी
फागी

व कृषि उपयोगी सामान को अपनी आराजियात पर ले जा सके एवं आ सके जो रास्ता प्रार्थीगण ने संलग्न नक्शे मे मार्क ए. बी. सी. डी. से दर्शित किया है जो अप्रार्थीगण की गैर मुमकिन खाडा भूमि मे से होकर है। उक्त रास्ते पर जाने के लिए प्रार्थीगण को काफी समस्या का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना–पत्र बावत रास्ता दिलवाये जाने विरूद्ध अप्रार्थी मान्य न्यायालय मे पेश करना आवश्यक हुआ है। तथा प्रार्थीगण को नियमानुसार रास्ता दिये जाने से प्रार्थीगण के न्यायिक हितो को संरक्षण मिलेगा तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी नही होगी । इसलिये न्यायहित में प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसकी आजीविका का एक मात्र साधन वाद ग्रस्त आराजी ही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आवगमन में बाधा उत्पन्न हो रही है जिसे प्रार्थीगण के खातेदारी के उपयोग–उपभोग में वह साधन लाने व ले जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। ऐसी स्थिति में मुताबिक डी. एल. सी. दर के प्रार्थीगण मान्य न्यायालय के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से की भूमि मे से उक्त रास्ते बावत राशि जमा कराने को तैयार व तत्पर है। तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि को नजरी नक्शे मे बरंग लाल रंग से दर्शित किया गया है जो नजरी नक्शा उक्त प्रार्थना–पत्र का अभिन्न अंग है। पक्षकारान व आराजी मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से सुनवाई का अधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने अपने जबाब मे बताया की प्रार्थी वर्तमान मे स्वंय के खसरा नम्बर 213 में जाने के लिये खसरा नम्बर 214 रकबा 3.8947 है० किस्म गै०मु० रास्ता खारडा से उपयोग में ले रहा है में कोई अस्थाई रास्ता (कटाणी रास्ता) नही है। प्रार्थी को अपने खेत मे आने जाने के लिये कोई रिकार्डेड रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिये रास्ता दिया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

3. बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

4. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 (क) के तहत नवीन मार्ग हेतु प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070 — 2073 वाके ग्राम भोजपुरा के खाता सं0 386 के ख0न0 213 मे प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। व मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070 — 2073 के खाता सं0 1 के ख0न0 214 अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचाई के प्रयोग के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से भूमिगत पाईपलाईन बिछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्मार्ग को विस्तार या चौडा करना चाहता है— अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मासले में पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किये जाने पर ही नवीन रास्ता कायम किया जावे।"

अप्रार्थी ने अपने जबाब मे प्रार्थी के पास अपने खेत मे आने जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नही होना बताया है। प्रार्थी के खेत के पास गुजरने वाले समस्त कटाणी रास्ता/सडक में से खसरा नम्बर 215 रकबा 2.9084 है किस्म गै0मु0 सडक से निकटतम दुरी है। जिससे प्रार्थी को आवागमन में आसानी रहती है। प्रार्थी को अपने खेत मे आने जाने के लिये कोई रिकोर्डेड रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिये रास्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपने खेत के खसरा नम्बर 213 में जाने लिये निकटतम खसरा नम्बर 215 किस्म गैर मु0 सडक से खसरा नम्बर 213 के मध्य स्थित खसरा नम्बर 214

उपखण्ड अधिकारी
फागी

रकबा 3.8947 है0 किस्म गैर मु0 खारडा से 80 मीटर लम्बाई एवं 9.15 मीटर चौडाई का रास्ता दिये जाने की स्पष्ट अभिषंशा की है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश से प्रतीत होता है कि ख0न0 213 मे आने जाने के लिये प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही नजदीक है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 213 रकबा 0.6449 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात में आने – जाने हेतु वर्तमान डी0एल0सी0 का 2 गुना प्रतिफल प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में अदा किये जाने पर ख0न0 214 किस्म गै0मु0खारडा मे से 9.15 मीटर चौडा एवं 80 मीटर लम्बाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि भुगतान की रसीद से न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

13/10/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर